छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला–रायपुर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09/02/21

क्रमांक एफ 10–06/2020/16 :: अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) 1979 अधिनियम (1979 का सं. 30) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियेाजन का विनियमन तथा सेवा शर्त) छत्तीसगढ़ नियम, 1981 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जाये, अर्थात्:–

"3. **स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने की रीति.**– (1) किसी स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप 1 में उस क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी को आवेदन, छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के श्रमिक सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जायेगा।

(2) विनिर्दिष्ट स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संदाय ई–पेमेंट द्वारा किया जाएगा।

(3) आवेदक द्वारा उप–नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के प्रस्तुत किये जाने पर स्वचालित पावती, विनिर्दिष्ट वेबपोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित होगी।"

2. **नियम 4 में,–**

(क) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1) नियम (3) के उप–नियम (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर, यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी स्थापन का रजिस्ट्रेशन करता है तो प्रमुख नियोजक को प्ररूप 2 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।"

(ख) उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(3) यदि किसी स्थापन के संबंध में, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट ब्योरे में कोई परिवर्तन हो, तो स्थापन का प्रमुख नियोजक, विनिर्दिष्ट वेबपोर्टल पर ऑनलाईन, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऐसे परिवर्तन होने के तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे परिवर्तन के ब्योरे तथा कारणों की सूचना देगा।"

D: Netam sir 2019-20 adhisuchana.doc

3. नियम 5 के उप–नियम (1) में, शब्द ''आवेदन को'' के पश्चात् एवं शब्द ''संशोधित करने की'' के पूर्व, शब्द ''विनिर्दिष्ट वेब–पोर्टल पर निर्देश देकर आनलाईन'' अन्तःस्थापित किया जाये ।

4. **नियम 6 के उप–नियम (1) में,–**

(एक) शब्द ''वह प्रधान नियोजक से यह अपेक्षा करेगा कि वह इतनी रकम'' के पश्चात्, शब्द ''ई–पेमेंट द्वारा'' अन्तःस्थापित किया जाये।

(दो) शब्द ''और ऐसी रसीद पेश करे कि जिसमें जमा किया जाना दिखाया गया हो'' का लोप किया जाये ।

5. **नियम 7 में,–**

(क) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जाये, अर्थात्:–

''(1) किसी प्रवासी कर्मकार के भर्ती के लिए ठेकेदार द्वारा प्रत्येक आवेदन, प्ररूप 4 में, उस क्षेत्र, जिसमें स्थापन स्थित है, के अनुज्ञापन अधिकारी को छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के श्रमिक सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जायेगा।''

(ख) उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जाये, अर्थात्:–

''(2) किसी प्रवासी कर्मकार को नियोजित करने के लिए ठेकेदार द्वारा प्रत्येक आवेदन, प्ररूप 5 में उस क्षेत्र, जिसमें स्थापन स्थित है, के अनुज्ञापन अधिकारी को छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के श्रमिक सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जायेगा।''

(ग) उप–नियम (3) में,–

(1) खंड (एक) में, शब्द ''भी होगा'' के स्थान पर, शब्द ''की एक प्रति अपलोड करेगा'' अंतःस्थापित किया जाये;

(2) खंड (दो) का लोप किया जाये ।

(घ) उप–नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(4) आवेदक द्वारा उप–नियम (1) या (2) में निर्दिष्ट आवेदन के प्रस्तुत किए जाने पर, स्वचालित पावती, नियम 3 के उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब–पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त होगी।''

(ङ.) उप–नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(5) उप–नियम (1) या (2) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, नियम 10 में विनिर्दिष्ट दर पर प्रतिभूति निक्षेप और नियम 12 में विनिर्दिष्ट दर पर शुल्क का संदाय ई–पेमेंट द्वारा किया जाएगा।"

6. नियम 9 के उप–नियम (2) के खंड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(दो) आदेश में अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख रहेगा तथा आवेदक को उसकी संसूचना छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के श्रमिक सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन दी जायेगी।"

7. नियम 10 के उप–नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1–क) जहां आवेदक, अन्य कार्य के संबंध में अनुज्ञप्ति धारण कर रहा हो और वह अनुज्ञप्ति समाप्त हो चुकी हो, यदि अनुज्ञापन अधिकारी का यह विचार हो कि उस अनुज्ञप्ति के संबंध में जमा प्रतिभूति की किसी राशि को, नियम 31 के अंतर्गत आवेदक को वापस किये जाने का निर्देश दिया जाना है, तो वह संलग्न प्ररूप 7 में उस प्रयोजन के लिये आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने पर, नई अनुज्ञा के लिए जमा की जाने वाली अपेक्षित प्रतिभूति हेतु, वापस की जाने वाली राशि को, ऑनलाईन समायोजित कर सकेगा तथा ऐसी दशा में, ऐसे समायोजन के बाद शेष राशि, यदि कोई हो, ई–पेमेंट के माध्यम से ही आवेदक को जमा करानी होगी।"

8. **नियम 11 में,–**

(क) उप–नियम (1) में, शब्द एवं अंक "प्ररूप 8 में" के पश्चात्, शब्द "इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित" अन्तःस्थापित किया जाये;

(ख) उप–नियम (2) के खंड (तेरह) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(तेरह) अनुज्ञप्ति, कार्यावधि के लिए विधिमान्य होगा। जारी अनुज्ञप्ति की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की स्थिति में, भर्ती एवं नियोजित प्रवासी श्रमिकों की सूची एक वर्ष पूर्ण होने के 15 दिवस के भीतर प्रत्येक वर्ष ठेकेदार द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल में अपलोड की जायेगी।"

9. नियम 13 में,–

(क) उप–नियम (2) में, शब्द "अनुज्ञापन अधिकारी को" के स्थान पर, शब्द, कोष्टक एवं अंक "नियम 3 के उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब–पोर्टल पर ऑनलाईन" अंतःस्थापित किया जाये;

(ख) उप–नियम (3) के खंड (एक) में, शब्द "के लिए क्रॉस मांग ड्राफ्ट" के स्थान पर, शब्द "ई–पेमेंट द्वारा" अंतःस्थापित किया जाये;

(ग) उप–नियम (4) में, शब्द "आवेदक को" के पश्चात्, शब्द, कोष्टक और अंक "नियम 3 के उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब–पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन" अंतःस्थापित किया जाये ।

10. नियम 14 का लोप किया जाए।

11. नियम 15 का लोप किया जाए।

12. नियम 20 का लोप किया जाए।

13. प्ररुप 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"**प्ररूप 8**

(नियम 11(1) देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन, अनुज्ञापन अधिकारी का कार्यालय

अनुज्ञप्ति संख्या ....तारीख................. संदत्त फीस रु0.......................

अनुज्ञप्ति

....को अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 की धारा 8(1) के अधीन और उपाबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, एतद्द्वारा अनुज्ञप्ति दी जाती है.

2. यह अनुज्ञप्ति (स्थापन के कार्य की प्रकृति उपदर्शित की जाये).. (प्रमुख नियोजक का नाम उपदर्शित किया जाये) (कार्य का स्थान उपदर्शित किया जाये)...... ....

3. अनुज्ञप्ति..(तारीख उपदर्शित की जाए) तक प्रवृत्त रहेगी ।

....

अनुज्ञापन अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

उपाबन्ध

अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:–

1. अनुज्ञप्ति अनंतरणीय होगी।
2. स्थापन में प्रवासी कर्मकारों के रूप में नियोजित कर्मकारों की संख्या, किसी भी दिन, अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन में विर्निदिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।
3. ठेकेदार द्वारा प्रवासी कर्मकारों को ऐसे नियोजन के लिए संदेय मजदूरी की दर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन विहित दरों से, जहां वे लागू हो, कम नहीं होंगी, और जहां दर करार, व्यस्थापन या पंचाट द्वारा नियत की गई हो, वहां वे इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं होंगी।

   (क) ऐसे मामलों में जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित प्रवासी कर्मकार वैसा या उसी प्रकार का काम करते हैं जो स्थापन के प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकार करते हैं, वहां ठेकेदार के प्रवासी कर्मकारों की मजदूरी की दरें, अवकाश, काम के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वहीं होंगी, जो स्थापन के प्रधान नियोजक द्वारा वैसे या उसी प्रकार के कार्य के लिए सीधे नियोजित कर्मकारों को लागू है:

   परंतु कार्य के प्रकार के बाबत किसी मतभेद की दशा में, उसका विनिश्चय श्रम आयुक्त द्वारा किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा;

   (ख) अन्य मामलों में ठेकेदार के प्रवासी कर्मकार की मजदूरी की दरें, अवकाश, काम के घंटे और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो इन नियमों में विहित है ।
4. प्रत्येक प्रवासी कर्मकार उन भत्तो, फायदों, सुविधाओं आदि का हकदार होगा जो अधिनियम और इन नियमों में विहित है।
5. कोई भी महिला कर्मकार किसी ठेकेदार द्वारा सुबह 6 बजे के पूर्व या 7 बजे के पश्चात् नियोजित नहीं की जाएगी:

   परन्तु यह खण्ड गर्तमुख स्थान कक्षों, शिशु कक्षों और केन्टीनों में और अस्पतालों और औषधालयों में सेविकाओं और नर्सो के रूप में प्रवासी महिला कर्मकारों के नियोजन पर लागू नहीं होगा।
6. ठेकेदार, प्रवासी कर्मकारों की संख्या या कार्य की शर्तों में किसी परिवर्तन पर, अनुज्ञापन अधिकारी को अधिसूचित करेगा।
7. ठेकेदार, अधिनियम और इन नियमों के सभी उपबन्धों का पालन करेगा।

8. अनुज्ञप्ति की एक प्रति परिसर में, जहां प्रवासी कर्मकार नियोजित किए गए हैं, किसी प्रमुख स्थान पर संप्रदर्शित की जाएगी।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ.रेणुका श्रीवास्तव)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09/02/21

क्रमांक 10–6/2020/16 : भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 10–6/2020/16, दिनांक .... का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

NOTIFICATION

The following amendment in the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Chhattisgarh rules, 1981, which the State Government in exercise of the power conferred by Section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979):-

AMENDMENT

In the said rules,

1. For rule 3, the following shall be substituted, namely:-

"3. **Manner of making application for registering of establishment**.- **(1)** The application shall be made online to the registration officer in Form I on the Shramik Seva Suvidha Portal of the Labour Department of the Government of Chhattisgarh in which the establishment sought to be registered is located.

(2) The payment of fees for the registration of the specified establishment shall be made by e-payment.

(3) On submission of application referred to in sub-rule (1) by the applicant, an automated acknowledgement shall be generated electronically on the specified web-portal."

2. In rule 4,-

(a) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) On submission of application under the sub-rule (1) and (2) of rule 3, if the registering officer registers the establishment, a certificate of registration generated electronically to the principal employer in Form II shall be issued."

(b) for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) If in relation to an establishment, there is any change in the particulars specified in the certificate, Principal Employer of the establishment shall intimate to the registration officer online on the web portal specified within fifteen days from the date when such change takes place, the particulars of, and the reason for, such change."

3. In sub-rule (1) of rule 5, after the words "the application" and before the words "so as to make", the words "directed online on specified web portal" shall be inserted.

4. In sub-rule (1) of rule 6,-

(i) after the words "he shall require such principal employer to deposit a sum", the words "by e-payment" shall be inserted;

(ii) the words "and to produce receipt showing such deposit" shall be omitted.

5. In rule 7,-

(a) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Every application by a contractor for the recruitment of any migrant worker shall be made online in Form IV to the Shramik Seva Portal of Labour Department of the Government of Chhattisgarh to the licensing officer of area in which the establishment is located."

(b) for sub-rule(2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) Every application by a contractor for the employment of any migrant worker shall be made online in application Form V to the Shramik Seva Portal of Labour Department of the Government of Chhattisgarh to the licensing officer of area in which the establishment is located."

(c) in sub-rule (3),-

(1) in clause (i), for the words "accompanied by a", the words "made by uploading a copy of the" shall be inserted.

(2) clause (ii) shall be omitted.

(d) for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely:-

"(4) On submission of the application referred to in sub-rule (1) or (2) by the applicant, an automated acknowledgement shall be generated electronically on the specified web-portal in sub-rule (1) of rule 3."

(e) for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely:-

"(5) The deposit of security at the rates specified in rule 10 referred to and the payment of fees at the rates specified in rule 12 in respect of application referred to in sub-rule (1) or (2) shall be made by e-payment."

6. For clause (ii) of sub-rule (2) of rule 9, the following shall be substituted, namely:-

"(ii) The order shall record the reasons for refusal and shall be communicated to the applicant online through Shramik Sewa Portal of Labour Department of the Government of Chhattisgarh."

7. After sub-rule (1) of rule 10, the following shall be inserted, namely:--

"(1-A) Where the applicant holds a license in regard of another work and that license has expired, the licensing officer, if he is of the view that any amount

out of the security deposited in respect of that license is to be directed to be refunded to the applicant under rule 31, on an online application made for that purpose in Form VII annexed, by the applicant, he shall adjust the amount so to be refunded towards the security required to be deposited online for the new license and the applicant shall be required to deposit, in such a case, only the balance amount, if any, after making such adjustment, through e-payment only."

8. In rule 11,-

(a) in sub-rule (1), after the words and figure "in Form VIII", the words "generated electronically" shall be inserted;

(b) for clause (xiii) of sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-

"(xiii) Licence shall be valid for the work period". In situation where of period of issued license extends for more than one year, the list of recruited and employed migrant workers shall be uploaded by the contractor in the Portal of Labour Department every year within 15 days before completion of one year."

9. In rule 13,-

(a) in sub-rule (2), for the words "to the licensing officer", the words, brackets and figures "online on the specified web-portal in sub-rule (1) of rule 3" shall be inserted;

(b) in clause (i) of sub-rule (3), for the words "a crossed demand draft for", the words "by e- payment" shall be inserted;

(c) in sub-rule (4), after the words "to the applicant", the words, brackets and figures "online through the specified web-portal in sub-rule (1) of rule 3" shall be inserted.

10. Rule 14 shall be omitted

11. Rule 15 shall be omitted.

12. Rule 20 shall be omitted.

13. For Form VIII, the following shall be substituted, namely:-

"Form VIII

[*See* Rule 11 (1)]

Government of Chhattisgarh, Office of Licensing Officer

Licence No........................dated..............Fee paid Rs...................

Licence

Licence is hereby granted to.....................under Section 8 (1) of the Inter State Migrant Workmen(Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979, subject to the conditions specified in the Annexure.

2. This licence is for doing the work of (nature of work to be indicated in the establishment of (name of principal employer to be indicated).. at (place of work to be indicated).....................

3. The licence shall remain in force till (date to be indicated). ....

....

Signature and seal of Licensing Officer

Annexure

The licence is subject to the following conditions :-

1. The licence shall be non-transferable.
2. The number of workmen employed as migrant workmen in the establishment shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the application for licence.
3. The rates of wages payable to the migrant workmen by the contractor shall not be less than the rates prescribed under the Minimum Wages Act, 1948 for such employment where applicable, and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates so fixed.
4. (a) In cases where the migrant workmen employed by the contractor perform the same or similar kind of work as the workmen directly employed by the Principal Employer of the establishment the wage rates, holidays, hours of work and other conditions of service of the migrant workmen of the contractor shall be the same as applicable to the workmen directly employed by the Principal Employer of the establishment on the same or similar kind of work :

   Provided that in the case of any disagreement with regard to the type of work, the same shall be decided by the Labour Commissioner whose decision shall be final;

(b) in other cases the wage rates, holidays, hours of work and conditions of service of the migrant workmen of the contractor shall be such as prescribed in these rules.

5. Every migrant workmen shall be entitled to allowances, benefits, facilities, etc., as prescribed in the Act and these rules.
6. No female migrant workmen shall be employed by any contractor before 6 A.M. or after 7 P.M.:

   Provided that this clause shall not apply to the employment of female migrant workmen in Pit head Baths, Creches and Canteens and as Midwives and Nurses in hospitals and dispensaries.
7. The contractor shall notify any change in the number of migrant workmen or the conditions of work to the licensing officer.
8. The contractor shall comply with all the provisions of the Act and these rules.
9. A copy of the licence shall be displayed prominently at the premises where the migrant workmen are employed.

By order and in the name of
Governor of Chhattisgarh

(Dr.Renuka Srivastav)
Deputy Secretary,
Govt. of C.G., Labour Deptt.

पृष्ठांकन 10–6 / 2020 / 16 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09/02/21
प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0),
2. निज सचिव, सचिव, छ.ग.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0),
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0),
4. समस्त उप श्रमायुक्त / सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी.................................की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....
6. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु,
7. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्राणालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8. गार्ड फाईल।

उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग